न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 08/2019

आर.सी.एम.एस. संख्या:– 2019/00014

1. मोहनराम पुत्र डूंगरराम जाति सांसी निवासी खारड़ा तहसील व जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

—बनाम—

1. पूर्णाराम पुत्र तारूराम जाति ब्राह्मण निवासी खारड़ा तहसील व जिला बीकानेर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर ।
3. उप पंजीयन द्वितीय बीकानेर ।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. एवं 151 सी.पी.सी.

अभिभाषक उपस्थिति:–

1. **श्री गणेश गोदारा, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से ।**
2. **श्री अजयकुमार ओझा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।**

—:निर्णय:—

दिनांक:– 11.10.2019

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम खारड़ा के ख.नं. 50 तादादी 1.60 हैक्टर किरम बारानी–2 तथा ख.नं. 58/1 तादादी 4.39 हैक्टेयर व ख.नं. 455/1 तादादी 3.79 हैक्टेयर इस प्रकार कुल किता 3 कुल तादादी 9.78 हैक्टेयर प्रार्थी के पिता डूंगर वल्द हुणता तथा उसके बाद प्रार्थी के नाम से दर्ज रही है । वर्तमान ख.नं. 455/1, जो कि पुराने ख.नं. 425/4 मीन से बना है । प्रकरण में वादगत भूमि ख. नं. 455/1 व 1366/455 जिसमें 1366/455 वर्तमान में पूर्णाराम वल्द तारूराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है । ख. नं. 455/1 के पास पूर्णाराम की कोई भूमि नहीं है, अपितु राज रकबा है । जमाबन्दी सम्वत 2025–2028 व 2036–2040 में ख. नं. 455/1 जो कि पुराने ख.नं. 425 मीन 2 में कुल तादादी 30 बीघा प्रार्थी के पिता व दादा के नाम से दर्ज रही है, जिसे आर.टी.ए. की धारा 101 के तहत् नामांतरण संख्या 307 में खातेदारी प्रदत्त की थी। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2029–2032, 2033–2036 में भी प्रार्थी के पिता व दादा के नाम से उक्त भूमि दर्ज रिकॉर्ड रही है । पूर्णाराम की भूमि ख. नं. 470 तादादी 4.05 हैक्ट. है । ख.नं. 1366/455 अप्रार्थी संख्या 1 पिता, दादा के नाम से पुराने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं रही है। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व दादा की कृषि भूमि ख.नं. 194 तादादी 46 बीघा व ख.नं. 319 तादादी 42 बीघा 8 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2029–2032, 2025–2028, 2033–2036 व 2037–2040 में दर्ज रही है । जमाबन्दी सम्वत 2021 में लिपीकीय भूल से अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व दादा के नाम से ख.नं. 421/2 मीन में तादादी 24 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी गयी । विवादित भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त लिपीकीय भूल से एक बार दर्ज विवादित भूमि, जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है व प्रार्थी उक्त भूमि पर परिवार सहित

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

ढाणी बनाकर रहवास कर रहा है, से प्रार्थी को बेदखल करना चाहता है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावें कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि ख.नं. 1366/455 तादादी 2.24 हैक्टेयर की मौके की यथास्थिति बनाये रख कर उक्त भूमि को किसी भी तरीके से रहन बैय मुंतकिल ना करें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसपर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री अजयकुमार ओझा ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार कर कथन किया कि अप्रार्थी की भूमि के पास प्रार्थी का कोई भी रकबा/भूमि नहीं है। प्रार्थी द्वारा झूठे, बनावटी तथ्यों के आधार पर तथ्य दर्ज किए गए है, जिनका न तो रिकॉर्ड से कोई सरोकार है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज वर्तमान में प्रार्थी के नाम का हो पत्रावली के साथ संलग्न किया गया है । आगे कथन किया कि प्रार्थी ने प्रा. पत्र में यह कहीं भी जाहिर नहीं किया है कि किस प्रकार से सुविधा का सन्तुलन और अपूर्णीय क्षति की स्थिति उसे अप्रार्थी के खिलाफ प्राप्त है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो प्रार्थी न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है, उसे अपनी सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु न्यायालय के समक्ष पेश करना व उसे साबित करने का भार भी प्रार्थी के पक्ष में होता है । प्रार्थी केवल मिथ्या, कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर न्यायालय में आया और अप्रार्थी के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। आगे कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो भी तथ्य प्रस्तुत किये गये है, वह दावे में साक्ष्य लिए जाकर तमाम प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् ही साबित किया जा सकता है। अप्रार्थी एक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, और एक खातेदार के खिलाफ किसी के भी पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती । प्रार्थी अपनी कुप्रवृति के कारण अन्य खातेदारों, काश्तकारों की खातेदारी भूमियों को हडपना ही प्रार्थी का पेशा रहा है, जो व्यक्ति सरकारी भूमि को भी हडपने का कुप्रयास कर चुका है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। माननीय तहसीलदार बीकानेर के द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुवे ग्राम खारड़ा की रकबाराज भूमि खसरा नम्बर 1438/455 की 1.22 हैक्टेयर से बेदखल किया जा चुका है। प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करवाना चाहता है तथा उक्त आदेश की आड में अप्रार्थी संख्या 1 का उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1366/455 रकबा 2.24 हैक्टेयर से जबरिया बेदखल कर देगा तो अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, इसलिए अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के मुकाबले अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है । इस प्रकार ग्राम खारड़ा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 470 तादादी 4.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1366/455 तादादी 2.24 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 6.29 हैक्टेयर कृषि भूमि का एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 है । अतः प्रथम दृश्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी का प्रा. पत्र चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावें ।

3. प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 1366/455 तादादी 2.24 हैक्ट, खसरा नम्बर 455/1, 425/4 मिन में से शिकस्त होकर बने है। पूरे गांव ने 30 बीघा भूमि मेरे पिता डूंगर वल्द हूणता को दी थी । सेटेलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 1366/455 वादी के खसरे में अंकन कर दी । पश्चिम में प्रतिवादी/अप्रार्थी है, जो पूर्व में वादी/प्रार्थी के खेत में से रास्ता निकालना चाहता है। प्रश्नगत भूमि सम्वत 2008 से डूंगर वल्द हुणता के नाम से चली रही है । खसरा नम्बर 1366 गलती से वादी/प्रार्थी के नाम से अंकन कर दी। पटवारी ने सीमाज्ञान की रिपोर्ट में उक्त रकबें को विवादित बताया है, प्रतिवादी का कब्जा काश्त नहीं है। पत्थरगढी के भी आदेश तहसीलदार द्वारा

यक कलक्टर
कानेर शहर

किये गये है। खसरा नम्बर 1366/455 पर कब्जा प्रार्थी का है, पटवारी रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न की गई है । आगे कथन किया कि प्रतिवादी/अप्रार्थी दावें में जवाब नहीं दे रहे, वादगत भूमि प्रतिवादी/अप्रार्थी की नहीं है, अपितु लिपीकीय भूल से दर्ज हुई है । आगे कथन किया कि प्रतिवादी कब से रिकॉर्डेड खातेदार है? इसका भी जवाब अप्रार्थी द्वारा नहीं दिया गया है ।

5. प्रार्थी की बहस के जवाब में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, क्योंकि प्रार्थी ने अपनी प्लीडिंग में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है । एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेद्याज्ञा के निस्तारण के लिए निर्धारित तीन बिन्दुओं की पूर्ति प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अभिवचनों से नहीं होती है । डूंगरराम वल्द हुणता को उक्त प्रश्नगत भूमि किसने दी, इसका कोई भी दस्तावेजी प्रमाण प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है । प्रार्थी उक्त प्रश्नगत रकबे का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं हैं और ना ही प्रार्थी के पास कब्जा है । आगे बहस में कथन किया कि प्रार्थी की जो बहस रही है, उससे सम्बंधित दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है । प्रतिवादी/अप्रार्थी एक रिकॉर्डेड खातेदार है और अप्रार्थी की भूमि के आस-पास प्रार्थी की कोई भूमि नहीं है । प्रार्थी का कथन कि अन्तरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से दावा का आधार ही नहीं रहेगा, कैसे सम्भव है? दावे के संलग्न दस्तावेज प्रार्थी/वादी के कथनों को वादी न्यायालय में साबित करना वादी के ही जिम्में है और दावे के अपने पक्ष में निस्तारण के लिए वादी ये साबित करेगा, इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण से वाद पत्र पर आधार कैसे नहीं रहेगा, ये वादी/प्रार्थी ही न्यायालय को समझा सकते है । प्रार्थी के दावे में प्रतिवादी द्वारा जवाब नहीं दिये जाने के कथन के जवाब में अप्रार्थी/प्रतिवादी ने कथन किया कि जवाब हेतु 90 दिन का समय है, जिसे न्यायालय चाहे तो बढ़ा भी सकता है । वादी द्वारा लाया गया दावा 188 आरटीए के तहत् है, 188 आरटीए सुखाधिकार नहीं है, वादी ऐसा चाहता है जो सेक्शन 41 के तहत् सिविल न्यायालय में चाराजोही करें । आगे कथन किया कि अप्रार्थी ने अपनी भूमि मेहनत करके काश्त लायक बनाई है । अप्रार्थी के पक्ष में मौका फर्द दिनांक 30.12.2018, पर्चा लगान (सेटेलमेन्ट विभाग) पेश किये है । आगे कथन किया कि प्रार्थी अस्थाई निषेद्याज्ञा के तीनों बिन्दुओं को साबित करने में नाकाम रहा है । अप्रार्थी ने कहा कि एक रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेद्याज्ञा पारित नहीं की जा सकती । अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थी द्वारा RBJ 2018 Page 499, RBJ 2018 Page 503, RRT 2014(2) Page 1301 नजीरें प्रस्तुत की । आगे कथन किया कि खातेदार के विरूद्ध एक गैर खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जा सकती, अपने इस कथन के समर्थन में प्रार्थी द्वारा RRT 2013 (Part-2) Page 828 प्रस्तुत की । आगे कथन किया कि प्रार्थी का नाम ना ही कभी गिरदावरी में आया है, जिससे उसका कब्जा साबित होता हो । वादी/प्रार्थी का कथन कि अप्रार्थी/प्रतिवादी 2 साल से परेशान कर रहे है, ये कॉज ऑफ एक्शन में नहीं है । अप्रार्थी अस्थाई निषेद्याज्ञा के तीनों बिन्दुओं की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेद्याज्ञा खारिज किया जावें ।

6. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर गहनता से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया । प्रकरण में अप्रार्थी का कहना कि डूंगरराम वल्द हुणता को उक्त प्रश्नगत भूमि किसने दी, इसका कोई भी दस्तावेजी प्रमाण प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है, इस सम्बंध में प्रार्थी का कहना कि पूरे गांव ने ये 30 बीघा भूमि मेरे पिता डूंगर वल्द हूणता को दी थी, यह प्रमाणिक प्रतीत नहीं होता है। किसी भी रकबा के क्रम में कोई खातेदार व्यक्ति ही अपने हक व अधिकार हस्तांतरित कर सकता है, चाहे उसका जरिया कुछ भी रहा हो।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 का कहना है कि वह वादगत भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिनका वादगत भूमि पर कब्जाकाश्त है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड भी उनके कथन का समर्थन करते है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के इस कथन के जवाब में प्रार्थी अपने कब्जे को हमारे समक्ष साबित नहीं कर पाया है, ना ही उसके कब्जा काश्त बाबत् कोई साक्ष्य अथवा सबूत पत्रावली पर उपलब्ध है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है।

8. जैसा कि अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण में प्रार्थी की जो बहस रही है, उससे सम्बंधित दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। यह सही साबित होता है । प्रतिवादी/अप्रार्थी एक रिकॉर्डेड खातेदार है और अप्रार्थी की भूमि के आस–पास प्रार्थी की कोई भूमि भी नहीं है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में साबित नहीं होता है। **प्रार्थी ने अपनी रिलीफ में अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की चाही है कि उक्त वादगत भूमि की मौके यथास्थिति रखी जाकर पाबन्द किया जावे उक्त कृषि भूमि किसी भी तरिके से रहन बैय मुंतकिल न की जावे ।** लेकिन हमारा यह मानना है कि अप्रार्थी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार है और खातेदार काश्तकार के खिलाफ एक गैर खातेदार काश्तकार के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करना न्यायोचित नहीं है। इस क्रम में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर RRT 2014(2) Page 1301 जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि **" प्रतिवादीगण/अनावेदकगण भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार है और वे भूमि के कब्जे में है–समवर्ती निष्कर्ष–निर्णित, अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार नहीं की जा सकती तथा आदेश अनियमितता अथवा अवैधता से ग्रसित नहीं है।"** प्रकरण में हुबहु चस्पा होती है।

9. एक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित करने से उसे अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना प्रबल है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन के साथ–साथ अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर RBJ 2018 Page 499 जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि **" प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। सभी पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्णय दावे में ही तय किया जाना है। किन्तु दावे के निर्णय तक रेकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।"** उक्त नजीर यहां हुबहु चस्पा होती है।

10. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

11. निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(बिन्दु खत्री)
सहायक कलक्टर
बीकानेर (शहर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2019.11.11 13:29:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: